



प्रेसनोट, दिनांक 10.03.2026
थाना अजगैण, जनपद उन्नाव

तमंचे के बल पर राहगीरों से मोबाइल छीनने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 03 अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व क्षेत्राधिकारी हसनगंज के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजगैण पुलिस द्वारा मोबाइल छीनने वाले तीन शातिर अभियुक्तों को 07 मोबाइल फोन, एक अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस व घटना मे प्रयुक्त एक अपाचे मोटरसाइकिल बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण – दिनांक 09.03.2026 को थाना क्षेत्र अजगैण में खनहार रोड़ कुल्लेश्वर बाबा मन्दिर के सामने सफेद रंग की अपाचे मोटर साइकिल सवार तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आवेदक श्री फूल चन्द्र पुत्र शिव दर्शन नि० राम पुर अड़ार थाना अजगैण उन्नाव मो०नं० 7210498012 को तमंचा दिखाकर आवेदक फूलचन्द्र सैमसंग गैलेक्सी ए 06 (5जी) मोबाइल फोन को छीन भाग गये थे उक्त के क्रम में थाना स्थानीय पर आवेदक श्री फूल चन्द्र पुत्र शिव दर्शन नि० राम पुर अड़ार थाना अजगैण उन्नाव द्वारा दिये गये तहरीर के आधार पर मु०अ०स० 102/2026 धारा 309(4) BNS बनाम सफेद रंग की अपाचे मोटर साइकिल सवार तीन अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत किया गया । अभियोग उपरोक्त में प्राप्त घटना का सफल अनावरण करते हुये पुलिस टीम थाना अजगैण द्वारा दिनांक 09/10.03.26 की रात्रि में दौराने गस्त कुईथर की तरफ से जंगल के रास्ते आती हुई एक मो०सा० जिस पर तीन लोग सवार थे को रोकने का प्रयास किया गया तो वह लोग पुलिस बल को देखकर भागना चाहा कि मौके पर गाडी गिर गई तभी पुलिस बल द्वारा उक्त तीनों व्यक्तियों को पकड लिया गया तथा तथा बारी बारी से नाम पता पूछा गया तो तीनों ने अपना नाम क्रमशः 1- पवित्रा उर्फ सुमित पुत्र ईसरी निवासी ग्राम महनौरा थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 20 वर्ष 2- जयचन्द्र उर्फ मच्छन पुत्र बददल निवासी ग्राम महनौरा थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 21 वर्ष 3- विशाल पुत्र चमन निवासी ग्राम महनौरा थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 18 वर्ष बताया तथा पहले व्यक्ते के पास से जामा तलासी से 02 अदद मोबाइल फोन वरामद हुए जिनका विवरण 1. वीवो Y-16 रंग सफेद IMEI NO- 862682065098271 व 862682065098263 है। जिसका नं० 9696119982 व दूसरा मोबाइल वीवो Y-20 कम्पनी का मोबाइल गहरे नीले रंग का है व एक अदद मो०सा० एक अदद मोटरसाइकिल UP35CA7274 जिसका चेचिस नं० MD634BE8352N33861 व इंजन नं० CE8NS2332469 है बरामद हुआ तथा दूसरे

व्यक्ति की जामा तलासी से एक अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए, तमंचा व कारतूस बरामद हुआ तथा और एक अदद मोबाइल फोन सैमसंग गैलेक्सी कम्पनी ए-06, जिसका मो0नं0 8795551298 है तथा EMEI NO क्रमशः 353285226413177 व 353368266413172 भी बरामद हुआ तथा तीसरे व्यक्ति से जामा तलासी से एक अदद मोबाइल नीले रंग का मोटो जी कम्पनी का जिस की IMEI NO. 862682065098271 व 862682065098263 बरामद हुआ। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया कि गया कि हमसे मिले सारे फोन लूटे/छीने हुए हैं हम लोग राहगीरो को अकेला पाकर तमंचे का भय दिखाकर मोबाइल छीन लेते हैं। सुमित के पास से मिले फोन हम तीनों लोगो नें आसाखेड़ा से एक व्यक्ति से छीने हैं। जयचन्द से मिला फोन हम लोगो ने बीती रात में रमनहार मोड से पहले कुल्ले सर मन्दिर के पास एक व्यक्ति से तमंचा दिखाकर छीना था एवं विशाल से मिला फोन मैसोरा मे एक व्यक्ति से छीना था। हम लोग मोबाइल छीन कर लोगो को सस्ते दाम मे बेचकर पैसे आपस में वितरित लेते हैं। बीती रात में चुराए गए मोबाइल के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 102/26 धारा 309(4) BNS पंजीकृत है। अन्य मोबाइलो के सम्बन्ध में सम्बन्धित थानो पर सम्पर्क किया गया तो वहा कोई सूचना दर्ज नहीं है। तीनों अभियुक्त गणो से प्राप्त चोरी के बरामद माल के आधार पर मु0अ0सं0 102/2026 धारा 309(4) BNS में धारा 317(2) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी तथा मोटरसाईकिल UP35CA7274 जिसका चेचिंस नं0 MD634BE8352N33861 व इंजन नं0 CE8NS2332469 जोकि थाना पुरवा पर दर्ज मु0अ0सं0 60/26 धारा 303(2) BNS में हुई चोरी से सम्बन्ध है। तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

- 1- पवित्रा उर्फ सुमित पुत्र ईसरी निवासी ग्राम महनौरा थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 20 वर्ष
- 2- जयचन्द्र उर्फ मच्छन पुत्र बददल निवासी ग्राम महनौरा थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 21 वर्ष
- 3- विशाल पुत्र चमन निवासी ग्राम महनौरा थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 18 वर्ष वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद तमंचा 315 बोर मय 02 अदद कारतूस 315 बोर,
2. छीना हुआ एक मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी A-06 सम्बन्धित अ0सं0 102/26 धारा 309(4) BNS थाना अजगैन,
3. 03 अदद मोबाइल एक अदद मोबाइल वीवो Y-16 रंग सफेद व एक अदद मोबाइल वीवो Y-20 व एक अदद मोबाइल नीला मोटो जी कम्पनी,
4. अभियुक्तों के 03 अदद मोबाइल फोन कंपनी TECHNO HOT30 व कंपनी रेडमी 8A व कंपनी रियलमी 11 PRO PLUS
5. घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाईकिल UP35CA7274

अपराधिक इतिहास अभि0 पवित्रा उर्फ सुमित –

- 1- मु0अ0सं0 102/2026 धारा 309(4)/317(2) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अजगैन उन्नाव
- 2- मु0अ0सं0 60/2026 धारा 303(2)/317(2) BNS थाना पुरवा उन्नाव

अपराधिक इतिहास अभि0 जयचन्द्र उर्फ मच्छन–

- 1- मु0अ0सं0 102/2026 धारा 309(4)/317(2) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अजगैन उन्नाव

2-मु0अ0स0 60/2026 धारा 303(2)/317(2) BNS थाना पुरवा उन्नाव

अपराधिक इतिहास अभि0 विशाल-

1-मु0अ0स0 102/2026 धारा 309(4)/317(2) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अजगैन उन्नाव

2-मु0अ0स0 60/2026 धारा 303(2)/317(2) BNS थाना पुरवा उन्नाव

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री सुरेश कुमार सिंह
- 2.वरि0नि0 श्री मोर मुकुट पाण्डेय
- 3-उ0नि0 श्री मुकुल कुमार दुबे
- 4-का0 अनूप द्विवेदी
- 5-का0 वीरेन्द्र चौरसिया
- 6 का0 सूर्य प्रकाश
- 7- का0 बलराम
- 8- का0 रोहित सिंह
- 9 का0 राहुल
- 10- का0 नरेन्द्र कुमार





प्रेसनोट, दिनांक 10.03.2026

थाना कोतवाली सदर,

जनपद उन्नाव

आवेदक के खाते में 97,000/- रुपये रिफण्ड कराये गये।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा आवेदक के खाते में 97,000/- रुपये रिफण्ड कराये गये।

संक्षिप्त विवरण – दिनांक 18.01.2026 को आवेदक प्रतीक सिंह निवासी ए0बी0 नगर थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव द्वारा क्रेडिट कार्ड पर स्वास्थ्य बीमा देने के नाम पर 97000/- रुपये का फ्राड होने विषयक आनलाइन साइबर पोर्टल पर प्रार्थना पत्र दिया गया था। आज दिनांक 10.03.2026 को थाना कोतवाली सदर साइबर टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये आवेदक के खाते में 97,000/- रुपये की धनराशि रिफण्ड करायी गयी।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्र कान्त मिश्र
2. अपराध निरीक्षक श्री राजेश यादव
3. महिला आरक्षी सोनिया शर्मा





प्रेसनोट, दिनांक 10.03.2026

थाना कोतवाली सदर,

जनपद उन्नाव

हत्या के आरोपी बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा हत्या के आरोपी बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण – दिनांक 09.03.2026 को वादिनी श्रीमती मैना देवी पत्नी भोला निवासी ग्राम पलेटिनी थाना महरौली जनपद सागर प्रान्त मध्य प्रदेश द्वारा थाना कोतवाली सदर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 03.03.2026 को वादिनी अपने बच्चे उम्र करीब 6 माह के साथ अपने जीजा राघवेन्द्र के यहां ग्राम पहली खेडा घूमने आयी थी जहां पर राघवेन्द्र के भाई (बाल अपचारी) द्वारा वादिनी के पुत्र की गला दबाकर हत्या कर दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0सं0 121/26 धारा 103(1) बीएनएस बनाम बाल अपचारी पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 10.03.2026 को प्र0नि0 श्री चन्द्रकान्त मिश्र, उ0नि0 श्री उग्रसेन मय हमराह पुलिस बल द्वारा नियमानुसार मुकदमा उपरोक्त में नामित बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस संरक्षण में लेने वाली पुलिस टीम:-

01. प्र0नि0 श्री चन्द्रकान्त मिश्र
02. उ0नि0 श्री उग्रसेन
03. हे0का0 मसूद खान
04. हे0का0 रामदेव प्रजापति
05. का0 रजत



प्रेसनोट, दिनांक 10.03.2026
थाना गंगाघाट, जनपद उन्नाव

हत्या के तीन आरोपी गिरफ्तार, आलाकत्ल लाठी व घटना में प्रयुक्त कार बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा हत्या की घटना कारित करने वाले तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण – दिनांक 09.03.2026 को वादिनी श्रीमती सुमन शुक्ला पत्नी मनोकान्त शुक्ला निवासी बसधना थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव द्वारा थाना गंगाघाट पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 08.03.2026 को समय करीब 20.00 बजे मेरे ही गांव के रहने वाले 01.विपिन सिंह पुत्र मछिलके सिंह 02.छोटू सनकी उर्फ शिवम सिंह पुत्र अज्ञात द्वारा पुरानी रंजिश को मानते हुये मेरे पति मनोकान्त को बुलाया गया और गाली गलौज करते हुये मारापीट कर अपहरण करके ले गये । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना गंगाघाट पर मु0अ0सं0 117/2026 धारा 140(1)/115(2)/352 बीएनएस बनाम 1. विपिन सिंह पुत्र मछिलके सिंह 2. छोटू सनकी उर्फ शिवम सिंह पुत्र अज्ञात उपरोक्त पंजीकृत किया गया। दिनांक 09.03.2026 को थाना माखी क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ। जिसकी पहचान वादिनी उपरोक्त द्वारा अपने अपहृत पति मनोकान्त शुक्ला के रूप में की गयी। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण 1.वंश सिंह पुत्र संजू सिंह निवासी थाना माखी जनपद उन्नाव, 2. अजय सिंह पुत्र रंजीत सिंह उम्र करीब 33 वर्ष निवासी दोस्तीनगर थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव का नाम प्रकाश में आया तथा धारा 103(1)/238/3(5) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। आज दिनांक 10.03.2026 को थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1. विपिन सिंह पुत्र शत्रुघन सिंह उर्फ मझिलके उम्र करीब 32 वर्ष निवासी बसधना गंगाघाट उन्नाव 2.शिवम सिंह उर्फ छोटू उर्फ सनकी उम्र करीब 32 वर्ष निवासी 302 सिविल लाइन कयोटा तालाब थाना कोतवाली उन्नाव 3.अजय सिंह पुत्र रंजीत सिंह उम्र करीब 33 वर्ष निवासी दोस्तीनगर थाना कोतवाली सदर उन्नाव को मुखबिर की सूचना पर अतरी मोड से 50 मीटर आगे से मय घटना में प्रयुक्त सफेद रंग की अर्टिगा कार नम्बर UP35 BR5590 के साथ गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगण की निशादेही पर आला कत्ल रक्तरंजित बांस की लाठी को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण को विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. विपिन सिंह पुत्र शत्रुघन सिंह उर्फ मझिलके उम्र करीब 32 वर्ष निवासी बसधना गंगाघाट जनपद उन्नाव
2. शिवम सिंह उर्फ छोटू उर्फ सनकी उम्र करीब 32 वर्ष निवासी 302 सिविल लाइन कयोटा तालाब थाना कोतवाली जनपद उन्नाव
3. अजय सिंह पुत्र रंजीत सिंह उम्र करीब 33 वर्ष निवासी दोस्तीनगर थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव

बरामदगी का विवरण-

1. घटना में प्रयुक्त सफेद रंग की अर्टिगा कार नम्बर UP35 BR5590
2. आला कत्ल एक अदद रक्तरंजित बांस की लाठी

आपराधिक इतिहास अभियुक्त विपिन उपरोक्त:-

01. मु0अ0सं0 53/2016 धारा 406/420/506 भादवि थाना आसीवन जनपद उन्नाव
02. मु0अ0सं0 915/2017 धारा 379/427/447 भादवि थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव
03. मु0अ0सं0 517/2019 धारा 307/498ए/506 भादवि थाना थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव
04. मु0अ0सं0 517/2019 धारा 307/498ए/506 भादवि थाना थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव
05. मु0अ0सं0 115/2026 धारा 115(2)/191(2)/351(3)/352 भादवि व 3(1)दध एससीएसटी एकट थाना थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव
06. मु0अ0सं0 117/2026 धारा 140(1)/115(2)/352/103(1)/238/3(5) बीएनएस थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 श्री अजय कुमार सिंह
2. उ0नि0 श्री कमल किशोर दुबे
3. हे0का0 सत्येन्द्र सिंह,
4. का0 राजाराम
5. का0 रामचन्द्र चौहान
6. का0 सतेन्द्र सिंह
7. का0 अंकुर तोमर

